न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सैयद शीराज अली जैदी आर0ए0एस0
प्रार्थना–पत्र सं0 : 75 सन 2017
अनवान :–

1. हनुमान प्रसाद पुत्र सोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायल

बनाम

1. दुलीचन्द पुत्र सोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. नारायणी पत्नी सोहनलाल जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसीया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. महेन्द्र कुमार दत्तक पुत्र इन्द्रचन्द जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
4. परमेश्वरी पत्नी चम्पालाल जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
5. बलराम पुत्र चम्पालाल जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसिया तहसील नोहर।
6. शारदा पुत्री चम्पालाल जाति ब्रहाम्ण निवासी धानसीया तहसील नोहर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।
8. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत

अस्थाई निशेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जीश अधिवक्ता सायल

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांक :– 10·5·2018

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 480/360 के खसरा न0 303 की 7.8809हैक व खसरा न0 806 की 9.6266हैक , 927 की 15.6986हैक कुल 33.2161हैक भूमि जिसमें सायल एवं गैरसायल संख्या 21 ,2 बहिब 266–1/4 हिस्सा व गैरसायल संख्या 3 का 88–5/28 हिस्सा व गैरसायल न0 4 ता 7 बहिब 77 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

गैरसायल न0 1 ने अपने पिता के जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि का बटवारा कर प्राप्त कर ली थी एव राजीनामा के जरिये ईकरारनामा दिनांक 04.08.1987 के जरिये हक हिस्सा प्राप्त कर लिया था जिसमें अंकित था कि इस भूमि में मेरा कोई हक हिस्सा नही होगा। परन्तु सोहनलाल के देहान्त होने पर उसके वारिसान गैरसायल न0 1 ने उक्त भूमि का विरास्तन नामान्तकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया जो कतई गलत एवं अनुचित है।

गैरसायल न0 1 द्वारा पूर्व में ही ईकरारनामा के जरिये हक हिस्सा प्राप्त कर लिया है वाद भूमि में गैरसालय का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि सायल व गैरसायल न0 2 ता 6 प्राप्त करने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल वाद भूमि का कभी भी रहन बैय कर सकता है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को नामपुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे की वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

सायल का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को तलब किया गया गैरसायल न0 1 जिसके विरूद्ध प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जरिरूे अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित होकर जबाब पेश किया की

वाद भूमि दादालाई भूमि थी गैरसायल के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके लडकों धडसीराम , लिछीराम, सोहनलाल के नाम दर्ज हुई जिसमें सोहनलाल का 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उतरादाता एवं उसके भाईयों को बहिब दे दी है जो इस बात का पता चला तो सरुजाराम ने बेईमानी से भूमि को विक्रय सोहनलाल ने कराया है तो परिजनों ने सुरजाराम को रोका और यह राजीनामा हुआ की सोहनलाल ने जो रूपये सुरजाराम को दिये वह वापिस दे दिये है इसलिये वाद भूमि में कोई बटवारा या लिखा पढी नही होगी।

सुरजाराम एक साल पहले फोत हो गया अब कोई फर्जी दस्तावेज लाकर उतरादाता को हैरान परेशान किया जा रहा हे मौके पर वाद भूमि गैरसायल के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नही है।

इकरानामा दिनांक 4.8.4987 का है इसलिये धोषणात्क अनुतोष व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है इकरारनामा के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है सायल गैरसायल को किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र सायल खारीज फरमाया जावे।

जबाब शामिल मिलस किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली गई वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा धानसीया के खाता संख्या 480/360 के खसरा न0 303 की 7.8809हैक व खसरा न0 806 की 9.6266हैक , 927 की 15.6986हैक कुल 33.2161हैक भूमि जिसमें सायल एवं गैरसायल संख्या 21 ,2 बहिब 266–1/4 हिस्सा व गैरसायल संख्या 3 का 88–5/28 हिस्सा व गैरसायल न0 4 ता 7 बहिब 77 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार है

गैरसायल न0 1 ने अपने पिता के जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि का बटवारा कर प्राप्त कर ली थी एव राजीनामा के जरिये ईकरारनामा दिनांक 04.08.1987 के जरिये हक हिस्सा प्राप्त कर लिया था जिसमें अंकित था कि इस भूमि में मेरा कोई हक हिस्सा नही होगा। परन्तु सोहनलाल के देहान्त होने पर उसके वारिसान गैरसायल न0 1 ने उक्त भूमि का विरास्तन नामान्तकरण अपने नाम से दर्ज करवा लिया जो कतई गलत एवं अनुचित है।

गैरसायल न0 1 द्वारा पूर्व में ही ईकरारनामा के जरिये हक हिस्सा प्राप्त कर लिया है वाद भूमि में गैरसालय का कोई हक हिस्सा नही है गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज भूमि सायल व गैरसायल न0 2 ता 6 प्राप्त करने के अधिकारी है।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल न0 1 के नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर गैरसायल वाद भूमि का कभी भी रहन बैय कर सकता है यदि गैरसायल अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो सायल को नामपुरा होने वाला नुकसान होगा इसलिये गैरसायल न0 1 को पाबन्द किया जावे की वह वाद भूमि को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से मुन्तकिल नही करे रिकार्ड मौका की यथास्थिति ताफैसला दावा बनाये रखे

गैरसायल के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जबाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वाद भूमि दादालाई भूमि थी गैरसायल के दादा के देहान्त होने के बाद विरास्तन से उसके लडकों धडसीराम , लिछीराम, सोहनलाल के नाम दर्ज हुई जिसमें सोहनलाल का 1/3 हिस्सा वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उतरादाता एवं उसके भाईयों को बहिब दे दी है जो इस बात का पता चला तो सरुजाराम ने बेईमानी से भूमि को विक्रय सोहनलाल ने कराया है तो परिजनों ने सुरजाराम को रोका और यह राजीनामा हुआ की सोहनलाल ने जो रूपये सुरजाराम को दिये वह वापिस दे दिये है इसलिये वाद भूमि में कोई बटवारा या लिखा पढी नही होगी।

सुरजाराम एक साल पहले फोत हो गया अब कोई फर्जी दस्तावेज लाकर उतरादाता को हैरान परेशान किया जा रहा हे मौके पर वाद भूमि गैरसायल के कब्जा काश्त में चली आ रही है किसी प्रकार का विवाद नही है।

इकरानामा दिनांक 4.8.4987 का है इसलिये धोषणात्क अनुतोष व प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही है इकरारनामा के आधार पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार नही दिये जा सकते है सायल गैरसायल को किसी भी प्रकार से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है प्रार्थना पत्र सायल खारीज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि गैरसायल न0 1 के नाम से दर्ज है जो विरास्तन से दर्ज हुई है जिसे दोनो पक्ष ही स्वीकार करते है।

यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायल प्रश्नगत इकरारनामा के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है प्रार्थना पत्र में तो केवल यह तय किया जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है एवं इकरारनामा के आधार पर सायल गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी है या नही

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में गैरसायल बतौर खातेदार काश्तकार है जो विरास्तन से दर्ज हुआ है रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण प्रथम दृष्टया प्रकरण सायल की तुलना में गैरसायल के पक्ष में पाया जाता है।

सायल का कथन है कि गैरसायल के पुर्वजो ने जरिये इकरारनामा सायल को बेचान की गई थी इसलिये उसका हक हिस्सा है व अपने कथनों के समर्थन में एक इकरारनामा पेश किया जो प्रमाणित भी नही है एवं काफी पुराना है।

सायल एवं ईकरारनामा जो किसी से भी प्रमाणित नही है तथा मात्र एक इकरारनामा है जो काफी समय पुराना है के आधार पर किसी प्रकार से गैरसायल को पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है रिकार्डेड खातेदार को प्रश्नगत ईकरारनामा के आधार पर पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है मात्र अनरजिस्टर्ड इकरारनामा के आधार पर किसी रिकार्ड खातेदार काश्तकार को पाबन्द किया जावेगा तो अपूर्णीय क्षति रिकार्डेड खातेदार काश्तकार को होगी जो उचित नही है।

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने के कारण खारिज किया जाता है तथा इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 21.06.2017 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

(सैयद शीराज अली नैदी)
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)